जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर जयपुर

पत्र कमांक/मु.ले./प्रत्रा/प्र.432(III) प्रे.- 1711 दिनांक 19-7-12

आदेश

जैसा कि सर्वविदित हैं कि RERC ने माह सितम्बर 2011 में विद्युत दरों में बढ़ोतरी के आदेश पारित किए थे किन्तु वित्तीय वर्ष 2011–12 के MIS-3.1 के राजस्व निर्धारण का पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010–11 से तुलना करने पर दरों की बढोतरी पूर्ण रूप से दृष्टिगत नहीं हो पा रही है। इस विषय पर निगम के उच्च अधिकारियों के स्तर पर चर्चा हुई एवं इसको गंभीरता से लिया गया। प्रथम दृष्टि में औसत राजस्व निर्धारण प्रति यूनिट में प्रत्याशित वृद्धि नहीं होने का मुख्य कारण सभी उपभोक्ताओं को एवं सही उपभोग के विपत्र जारी न होना तथा Format MS -14 के द्वारा भेजी जाने वाली यूनिट्स के साथ उससे सम्बन्धित राशि नहीं भेजा जाना रहा है। इस सम्बन्ध में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने विस्तृत मार्ग निर्देशन परिपत्र सं. 1030 दिनांक 18.05.11 (JPD 6/337) द्वारा जारी कर रखे हैं किन्तु उनकी सख्ती से पालना नहीं हो पा रही है और अनावश्यक उपभोग (युनिट) फारमेट MS-14 के द्वारा भेजे जा रहे हैं। उपरोक्त दोनो ही परिस्थितियाँ निगम के राजस्व को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं अतः इस संबंध में निम्न निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

1) वर्ष 2010–11 से 2011–12 का वृतवार व श्रेणीवार प्रति युनिट राजस्व निर्धारण विवरण जयपुर डिस्कॉम ने अपने पत्र संख्या 1668 दिनांक 12.07.12 द्वारा अधीक्षण अभियन्ताओं को भेजा चुका है। इसी प्रकार का विश्लेषण अजमेर एवं जोधपुर वितरण कम्पनी अपने स्तर पर करें। अतः इसका गहन विश्लेषण करके कारणो की जानकारी ली जाये और दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जाये।

2) सितम्बर 2011 में श्रेणीवार विद्युत दरो में प्रत्याशित वृद्धि का Statement (प्रतिशत) संलग्न है। विश्लेषण कार्य की जिम्मेदारी निम्न प्रकार से रहेगी:–

(अ) उपखण्डवार/श्रेणीवार का विश्लेषण हर माह सम्बन्धित लेखाधिकारी MIS के आधार पर विश्लेषण करके अपने अधीक्षण अभियन्ता को अगले माह के अन्त तक रिपोर्ट देगा कि किस उपखण्ड में, कौनसी श्रेणी में शिथिलता है।

(ब) अधीक्षण अभियन्ता शिथिलता के कारणों की जानकारी लेकर किये गये प्रयासों की सूचना सहित अपने Zonal मुख्य अभियन्ता को अगले 7 दिन में प्रस्तुत करेगा।

(स) मुख्य अभियन्ता स्तर पर अपने वरिष्ठ लेखाधिकारी से जांच करवा कर वृतवार अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट अगले तीन दिवस में Corporate office को प्रस्तुत करेंगे ।

(द) मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) पूरे निगम की स्थिति का विश्लेषण करके निदेशक (वित्त) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करेंगे। अजमेर एवं जोधपुर के संदर्भ में यह स्थिति सम्बन्धित निदेशक (वित्त) एवं प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत की जायेगी।

उपरोक्त विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण करने का उद्धेश्य यही है कि अनावश्यक रूप से उपभोग (यूनिट्स) को MIS में जुडवाने की प्रवृत्ति पर पूर्ण अंकुश लगे एवं उपभोक्ताओं को सही उपभोग का सही समय पर विपत्र जारी हो। दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध सक्षम अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करके सूचित करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्त

(कुंजीलाल मीणा)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स्

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (O&M) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता (O&M) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (O&M) जयपुर डिस्कॉम .....
6. अधीक्षण अभियन्ता (O&M) अजमेर डिस्कॉम .....
7. अधीक्षण अभियन्ता (O&M) जोधपुर डिस्कॉम .....
8. तकनीकि सहायक CMD जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
9. तकनीकि सहायक Director (Tech.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(के. एल. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (लेकरा)

19.7. **Fuel Surcharge :**

Discoms requested to allow recovery of the Fuel Surcharge from consumers as per formula approved by the Commission in the RERC Tariff Regulations, 2009. Commission would like to observe that Discoms are already authorized to levy fuel surcharge as per formula prescribed in Tariff Regulations, 2009.

20. **Revenue due to tariff revision**

Discoms are expected to generate additional revenue as given in the table below for a 12 month period due to revision of tariff allowed by the Commission by this order. This does not account for implication of any incentive/surcharge or rebates, whose implication may be same as existing. Change of categorisation has also not been considered as its impact on revenue will be small. Revenue has been calculated by the Commission at the tariff determined by it. If the State Govt. Provides subsidy for any category of consumers in advance in the manner as specified in RERC(Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2009, the Discoms may apply the subsidised rate to that category.

Table: 73- : Jaipur Discom- Revenue at Existing & Revised Tariff as Approved by the Commission for FY 2011-12 (Rs. crore)

Consumer Categories	Revenue at Existing Tariff	Revenue at Revised Tariff	Increase Allowed	
Domestic	1,353	1,650	297	21.95
Non-Domestic	594	724	130	21.88
Public Street Light	39	48	9	23.07
Agriculture (Metered)	506	624	118	23.32
Agriculture (Flat)	69	86	17	24.64
Small Industry	117	146	29	24.78
Medium Industry	295	365	70	23.73
Large Industry	1,697	2,134	437	25.75
Public Water Works (S)	89	107	18	20.22
Public Water Works (M)	11	14	3	27.27
Public Water Works (L)	54	67	13	24.07
Mixed Load	227	282	55	24.23
Electric Traction	173	218	-	
Total	5,224	6,465	1,241	23.76
Other Income-rental etc.	124	124	0	
Total	5,348	6,589	1,241	23.20

Table: 74- : Ajmer Discom- Revenue at Existing & Revised Tariff as approved by the Commission for FY 2011-12 (Rs. crore)

Consumer Categories	Revenue at Existing Tariff	Revenue at Revised Tariff	Increase Allowed	
Domestic	817	974	157	19.22%
Non-Domestic	269	332	63	23.42%
Public Street Light	19	22	3	15.79%
Agriculture (Metered)	311	384	73	23.47%
Agriculture (Flat)	143	179	36	25.17%
Small Industry	100	125	25	25%
Medium Industry	272	338	66	24.26%
Large Industry	987	1,256	269	27.25%
Public Water Works (S)	81	97	16	19.75%
Public Water Works (M)	13	16	3	23.08%
Public Water Works (L)	59	74	15	25.42%
Mixed Load	150	187	37	24.67%
Electric Traction	-	-	-	
Total	3,220	3,984	764	23.73%
Other Income-rental etc.	94	94	0	
Total	3,314	**4,078**	764	23.05%

Table: 75-: Jodhpur Discom- Revenue at Existing & Revised Tariff as approved by the Commission for FY 2011-12 (Rs. crore)

Consumer Categories	Revenue at Existing Tariff	Revenue at Revised Tariff	Increase Allowed	
Domestic	775	931	156	20.13%
Non-Domestic	272	333	61	22.43%
Public Street Light	61	72	11	18.03%
Agriculture (Metered)	602	744	142	23.59%
Agriculture (Flat)	166	208	42	25.30%
Small Industry	93	116	23	24.73%
Medium Industry	206	260	54	26.21%
Large Industry	465	590	125	26.88%
Public Water Works (S)	101	121	20	19.80%
Public Water Works (M)	45	57	12	26.67%
Public Water Works (L)	166	208	42	25.30%
Mixed Load	250	312	62	24.80%
Electric Traction	-	-	-	
Total	3,204	3,954	750	23.41%
Other Income-rental etc.	167	167	0	
Total	3,371	**4,121**	750	22.25%

21. Revenue Surplus/ Deficit at revised Tariff

21.1. Although the additional revenue on account of tariff revision works out to Rs. 2756 Crores for all Discoms on an yearly basis, but since tariff revision

(16)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

क.जेपीडी/मुलेअ(लेकरा)/राजस्व/पत्रा. 1582 /प्रे. जयपुर, दिनांकः– 4/7/12

परिपत्र

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार के स्तर पर बिजली व पानी की स्थिति का अवलोकन करते समय यह अवगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा PHED के विद्युत खर्चे के पेटे वर्ष 2012–13 में पर्याप्त बजट प्रावधान किये जाने के उपरांत भी विद्युत विपत्रों की बकाया चल रही है। मुख्य सचिव महोदय ने इसे गंभीरता से लिया है एवं निर्देश दिये हैं कि PHED एवं विद्युत वितरण कंपनियां आपस में समन्वय करके ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि विद्युत विपत्रों का नियमित भुगतान प्राप्त हो सकें। इस संबंध में निम्न निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते हैं –

1. विद्युत विपत्रों की बकाया राशि के बिलों के संबंध में PHED अधिकारियों से सत्यापन कराके एवं भुगतान प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाए क्योंकि बजट प्रावधान का वर्ष के आरंभ में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती है और पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है।
2. प्रायः प्रत्येक जिले में विद्युत वितरण कंपनी एवं PHED विभाग का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी तैनात है। दोनों विभागों के अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक माह में 15 तारीख से 20 तारीख के मध्य एक बैठक करेंगे जिसमें पिछले माह तक के बकाया विद्युत विपत्रों का विश्लेषण करके अपने मिनिट्स में बकाया राशि होने का विपत्र वार मय कारण स्पष्ट रुप से दर्शायेंगें।
3. बकाया विपत्रों पर यदि PHED कोई विवाद करता है तो उसे डिस्कॉम की सक्षम Settlement committee में प्रस्तुत करके गुणों के आधार पर निष्पादन करेंगें।
4. यह जानकारी में आया है कि विवाद का मुख्य कारण विद्युत मीटर बंद होने की स्थिति मे औसत पद्धति से बिल जारी करना है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि PHED के बंद/खराब मीटरों को अविलम्ब बदलवाने की व्यवस्था करें। यदि मीटर समय पर नही बदले जाते हैं तो डिस्कॉम का संबंधित अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

   यह भी पाया गया हैं कि कुछ प्रकरणो में पावर फेक्टर सरचार्ज की राशि को जमा करवाने में PHED के अधिकारी आनाकानी करते हैं जिसके कारण केवल वर्तमान माह के बिल का ही भुगतान करते हैं जिसके फलस्वरूप DPS की राशि अनावश्यक रूप से बढ़ती रहती हैं। ऐसे प्रकरणो को भी आपसी सूझबूझ तथा समन्वय स्थापित करके तुरन्त भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सक्षम Settlement committee में ले जाकर निस्तारण किया जाना चाहिए।

4/7/2012

5. यह भी देखा गया हैं कि PHED के कुछ नलकूपों का पानी सूख गया हैं जिसके कारण नलकूप बंद पड़े हैं और विद्युत का कोई उपभोग नही हो रहा हैं, लेकिन डिस्काम की ओर से PHED से प्राप्त किसी सूचना के अभाव में लगातार विद्युत बिल जारी किये जा रहें हैं। ऐसे प्रकरणो में डिस्कॉम की Settlement Committee में लाकर उनका उचित निस्तारण किया जाना चाहिए।

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 फोन : 0141-740148, फैक्स : 0141-740831

6. यह भी देखा गया है कि PHED के योजना मद (42.15) में पर्याप्त बजट उपलब्ध है लेकिन इसके उपरान्त भी डिमांड नोटिस के पेटे दी गई undertaking का पैसा बकाया है। ऐसे मामलों में उपखण्डवार विवरण PHED को उपलब्ध कराके इसके भुगतान की व्यवस्था तीन दिन में सुनिश्चित करें।
7. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) PHED जयपुर ने भी अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं को विद्युत विपत्रों तथा अन्डरटेकिंग की बकाया राशि तुरन्त जमा कराने के निर्देश जारी कर दिये हैं। अतः अधीक्षण अभियन्ता संबंधित PHED अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके बकाया राशि के भुगतान की तुरन्त व्यवस्था करायें।
8. PHED की समस्त प्रकार की बकाया राशि भुगतान के संबंध में तीनो डिस्कॉम्स में मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) के स्तर पूरी मॉनीटरिंग की जाएगी।

4/12/12

(कुंजीलाल मीणा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित :

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर को अपने स्तर से इन निर्देशो की पालना कराने हेतु सभी O&M अधीक्षण अभियन्ताओं को लिखें।
4 मुख्य अभियन्ता (O&M) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5 मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) PHED, जल भवन जयपुर को अपने स्तर से PHED अधिकारियों को भी इन निर्देशो की पालना सुनिशचित करने हेतु लिखें।
6 अधीक्षण अभियन्ता (O&M) जयपुर डिस्कॉम .....
7 अधीक्षण अभियन्ता (O&M) अजमेर डिस्कॉम .....
8 अधीक्षण अभियन्ता (O&M) जोधपुर डिस्कॉम .....
9 तकनीकि सहायक CMD जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
10 तकनीकि सहायक Director (Tech.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(के एल गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (लेकरा)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

1635
क्र.जेपीडी/मुलेअ(लेकरा)/राजस्व/पत्रा. /प्रे. जयपुर, दिनांकः– 9.7.12

परिपत्र

दिनांक 09.07.12 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और विद्युत वितरण निगमों की बकाया राशि पर विस्तृत चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि PHED के विपत्रों में DPS/LPS को माफ करते हुए बकाया विद्युत राशि को विद्युत निगम के अधिकारीगण स्वीकार कर ले। DPS/LPS की राशि को अधीक्षण अभियन्ता स्तर की settlement Committee में अपलिखित करने का औपचारिक निर्णय ले लिया जाये। समीक्षा के दौरान विद्युत मीटर के बन्द व खराब होने की दशा में औसत पद्धति से मांगी गई राशि के बारे में चर्चा हुई एवं यह निर्णय लिया गया कि RERC के निर्देशानुसार मीटर खराब व बन्द होने की दशा में निर्धारित औसत के आधार पर विद्युत खर्च की राशि वसूल की जाये।

तीनों विद्युत वितरण निगमों से प्राप्त माह मई 2012 की सूचना के आधार पर पाया गया कि विद्युत विपत्रों तथा undertaking के आधार पर जारी किये जाने वाले विद्युत कनैक्शनों की बकाया राशि में निरन्तर बढोतरी हो रही हैं । इस संबंध में पूर्व परिपत्र संख्या 1582 दिनांक 04.07.12 में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह की दिनांक 15 से 20 के मध्य विद्युत निगम एवं PHED दोनो विभागों के अधीक्षण अभियन्ता संयुक्त बैठक करके प्रत्येक विपत्र पर समीक्षा करेंगें एवं किसी प्रकार की राशि विवादग्रस्त होने की दशा में सक्षम Settlement Committee में ले जाकर निर्णय पारित करेंगें । दोनो विभागों के अधिकारियों कि यह मंशा है कि जब पर्याप्त बजट प्रावधान है तो विद्युत विपत्रों तथा undertaking की राशि बकाया नहीं रहनी चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों की विद्युत वितरण निगमों के अधीक्षण अभियन्ता आवश्यक रूप से पालना करेंगें और प्रत्येक माह की संयुक्त बैठक में पारित निर्णयों की प्रति मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) को आवश्यक रूप से भिजवायेंगें। इस मामले में शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कुंजीलाल मीणा)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 फोन : 0141-740148, फैक्स : 0141-740831

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर को अपने स्तर से इन निर्देशो की पालना कराने हेतु सभी O&M अधीक्षण अभियन्ताओं को लिखें।
5. मुख्य अभियन्ता (O&M) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) PHED, जल भवन जयपुर को अपने स्तर से PHED अधिकारियों को भी इन निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखें।
7. अधीक्षण अभियन्ता (O&M) जयपुर डिस्कॉम .....
8. अधीक्षण अभियन्ता (O&M) अजमेर डिस्कॉम .....
9. अधीक्षण अभियन्ता (O&M) जोधपुर डिस्कॉम .....
10. तकनीके सहायक CMD जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
11. तकनीकि सहायक Director (Tech.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(के एल गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (लेकरा)